AMATEUR KABADDI ASSOCIATION HARYANA

प्रतियोगिता मे भाग लेने संबंधित नियम/शर्ते :- वर्ष 2026-27

1. सब-जूनियर हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता
   (i) आयु 16 वर्ष से कम (जन्म 31 दिसम्बर 2010 के बाद)
   (ii) जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड(फोटो कॉपी)
   (iii) बालक वर्ग में वजन(60KG)
   (iv) बालिका वर्ग में वजन(55KG)

2. जूनियर हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता
   (i) आयु 20 वर्ष से कम (जन्म 30 नवम्बर 2006 के बाद)
   (ii) जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड(फोटो कॉपी)
   (iii) बालक वर्ग में वजन(75KG)
   (iv) बालिका वर्ग में वजन(65KG)

3.सीनियर हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता
   (i) आधार कार्ड(फोटो कॉपी)
   (ii) पुरुष वर्ग में वजन(85KG)
   (iii) महिला वर्ग में वजन(75KG)

4. यूथ अंडर 18 हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता
   (i) आयु 18 वर्ष से कम
   (ii) जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड(फोटो कॉपी)
   (iii) बालक वर्ग में वजन(70KG)
   (iv) बालिका वर्ग में वजन(65KG)

5. यूथ अंडर 23 हरियाणा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता
   (i) आयु 23 वर्ष से कम
   (ii) जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड(फोटो कॉपी)
   (iii)बालक वर्ग में वजन(80KG)
   (iv) बालिका वर्ग में वजन(70KG)

नोट: उपरोक्त सभी प्रतियोगिताएं मैट पर खेली जायेंगी। उपरोक्त आयु वर्ग की तिथियाँ जो निर्धारित की गई वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता तिथि के अनुसार निर्धारित की गई हैं।

6.**सीनियर हरियाणा राज्य स्तरीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता**

(i) आधार कार्ड(फोटो कॉपी)

(ii) पुरुष वर्ग में वजन(85KG)

(iii) महिला वर्ग में वजन(75KG)

7.**सीनियर हरियाणा राज्य स्तरीय सर्कल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता**

(i) आधार कार्ड(फोटो कॉपी)

प्रतियोगिताओ में भाग लेने हेतु जरूरी शर्ते :

(1) सभी हरियाणा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताए नॉकआउट पद्धति पर की जाएगी।

(2) हरियाणा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मे भाग लेने से पूर्व प्रत्येक ज़िले को ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता करवाना अनिवार्य होगा।

(3) ज़िले की टीम मे ज़िले के खिलाड़ियो को ही खिलाना अनिवार्य हैं। जिले की टीम में वही खिलाडी खेल सकता हैं जो सम्बंधित ज़िले का मूल निवासी हो अन्यथा अगर किसी ज़िले की टीम में दूसरे जिले का खिलाडी खेलता मिलता हैं तो उस ज़िले की टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा।

(4) समस्त हरियाणा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मे आवश्यक होने पर NADA द्वरा डोप टेस्ट करवाया जा सकता हैं।

(5) सभी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओ मे रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं मूल आधार कार्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओ मे बालिका वर्ग एवं महिला वर्ग टीमो के साथ महिला मैनेजर/कोच इंस्ट्रक्टर दोनों में से एक महिला का होना अनिवार्य है।

(7) राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओ मे खिलाड़ियो का वजन कमेटी द्वारा निर्धारित समय पर खेल किट मे एक साथ पूरी टीम का वजन करवाना अनिवार्य है। प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ियो के वजन कराते समय मूल(Original) इंट्री फॉर्म, आई-डी- पूर्फ की कॉपी, जमा कराने अनिवार्य है।

(8) खिलाडी उचित किट में हो आगे 4 इंच पीछे 6 इंच साइज़ में नंबर एवं ज़िले का नाम अंकित होना अनिवार्य हैं अन्यथा टीम को प्रतियोगिता में भाग नही लेने दिया जाएगा।

(9) रेलवे, सेर्विसेज, बीएसएनएल, बैंक स्पोर्ट्स बोर्ड, SAI एवं अन्य जिनकी टीम सीधी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ मे भाग लेती है उनके किसी भी खिलाडी, प्रशिक्षक को अपनी ज़िलास्तरीय प्रतियोगिताओ मे भाग न दिलाए और राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओ मे अपने ज़िले की टीम का हिस्सा न बनाये। संज्ञान मे आने पर उस टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा। इसके अलावा जिन विभागों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ मे सीधी भागिता नही हैं उनके खिलाडी खेल सकते हैं लेकिन किसी भी जिले में उनकी संख्या चार से उपर नही होनी चाहिए तथा उन खिलाडियों को विभाग से NOC लेकर कमेटी के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं और जिले की टीम में वही खिलाडी खेल सकता हैं जो सम्बंधित ज़िले का वासी हो।

(10) जिन खिलाड़ियो का हरियाणा राज्य की A.K.A.H.से रजिस्ट्रेशन है उन्ही खिलाड़ियो को प्रतियोगिता मे प्रतिभाग की अनुमति होगी। अन्य किसी राज्य या बोर्ड की तरफ से A.K.F.I. मे रजिस्ट्रेशन है तो और उस खिलाडी ने अन्य किसी राज्य से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ मे भाग लिया है तो उसे जिस राज्य से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ मे भाग लिया है उस राज्य की NOC कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी तथा यह जिम्मेदारी जिला इकाई की होगी ऐसा न पाए जाने पर और संज्ञान मे आने पर उस टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

(11) प्रतियोगिता की दिनांक से 2 दिवस पूर्व तक प्रत्येक ज़िला इकाईयां प्रतियोगिता की इंट्री Amateur Kabaddi Association Haryana पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य हैं।

(12) आपको अवगत करवाया जाता हैं कि उन्ही जिला इकाईयों की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी जो AKAH से मान्यता प्राप्त हैं। इसके अभाव मे टीम के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता मे भाग लेने नही दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ज़िला इकाई की होगी।

(13) सभी नेशनल स्टाइल व सर्कल स्टाइल राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओ मे ज़िला इकाइयों की टीम मे कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 14 खिलाड़ी होना अनिवार्य है व बीच कबड्डी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओ मे ज़िला इकाइयों की टीम मे 8 खिलाड़ी होना अनिवार्य है।

(14) सभी ज़िला इकाइयों के इंट्री फॉर्म पर उस ज़िला सचिव की मोहर, हस्ताक्षर एवं मोबाईल न० होना अनिवार्य है। सभी जिला इकाई खिलाडियों का वजन कराते समय अपने जिले की मूल इंट्री फॉर्म (Orignal) की एक कॉपी और खिलाडी अपना मूल आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन की कॉपी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अपने जिले की मूल इंट्री फॉर्म (Orignal) की एक कॉपी जमा करवाना अनिवार्य हैं।

(15) सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।

नोट:- हरियाणा राज्य की प्रत्येक ज़िला इकाई को ऊपर लिखित सभी नियमो का पालन करना अनिवार्य है। प्रत्येक ज़िला इकाई को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि अपने जिले से सम्बंधित टीम खिलाड़ियों का वजन करवाने के लिए सुबह 09 बजे से दौपहर 12 बजे तक समयसीमा निर्धारित की गई हैं। निर्धारित समय अवधि पश्चात किसी भी जिले की टीम अथवा किसी भी खिलाडी का वजन नही किया जाएगा तथा टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। उपरोक्त नियमों का उल्लंघन होने व अन्य किसी कोताही के लिए उस ज़िला इकाई / जिलासचिव की जवाबदेही होगी।

आप सभी से अपेक्षा हैं कि आप अपने जिले की सर्वश्रेष्ठ टीम भेजकर हरियाणा राज्य के लिए उत्कृष्ट टीम चयन में सहयोग करेंगे ताकि राष्ट्रीय सत्र पर हरियाणा प्रदेश की टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित करेंगे।

Naseeb

नसीब

महासचिव

एम्चयोर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा(AKAH)